तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	2/11 पत्रावली पेश हुई। [illegible] सघ ने आज [illegible] कार्य [illegible] कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/12/23 को पेश हो।
	18/12 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 13/1/2024 को पेश हो।
13/1/2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप० I.P.O. सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/1/24 को पेश हो।
19/1	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 28/1/24 को पेश हो।
28/1	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/2/24 को पेश हो।
10/02/2024	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली में बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने [illegible] में अंकित तथ्यों को [illegible] किया। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 22/02/24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bre[illegible]esh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:14 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22/2/2021

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी खाता सं0 86 व 66 में प्रार्थीगण के पिता का नाम नूंगा, मंगला पि0 सुरजा अंकित है जबकि सही नाम नूंगा, नंगला पि0 टोला है। तथा खाता सं0 115 व 116 में प्रार्थी सं0 1 के पिता का नाम मंगला पि0 दोला अंकित है जबकि सही नाम मंगला पि0 टोला है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पुराना राजस्व रिकार्ड पेश किया। पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13.07.2016 अनुसार प्रार्थना पत्र में खाता सं0 115 व 116 का अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित है। वादग्रस्त आराजी खाता सं0 86 व 66 के संबंध में प्रार्थीगण ने मिलान क्षैत्रफल व अन्य कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे अनुतोष साबित हो सके।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी खाता सं0 115 व 116 में प्रार्थी सं0 1 के पिता का नाम नंगला पि0 दोला अंकित है जबकि सही नाम नंगला पि0 टोला है। तथा खाता सं0 86 व 66 का अनुतोष खण्ड साबित करने में प्रार्थीगण असफल रहे। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खाता सं0 115 व 116 की हद तक आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम डेहरा जोहडी स्थित भूमि खाता संख्या 115 व 116 [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में नंगला पि0 दोला के [illegible] टोला दुरुस्त कर राजस्व रि[illegible] दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया ग[illegible]।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:14 IST
Reason: SelfAttested